न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
017/2021 (रसद) (GCMS 2021/380)	16.08.2021	27.10.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

पीयूष सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़।

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
ईनायत अली अधियक्ता विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23.06.2021 को ATS उदयपुर के मोजेन्द्र सिंह ASI प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार आवेदक प्रवर्तन अधिकारी निम्बाहेडा प्राप्त सूचना के अनुसार घटना स्थल कालिका मोटर्स औद्योगिक क्षेत्र निम्बाहेडा पहुँचा। मौके पर ATS उदयपुर टीम मौजेन्द्रसिंह ASI, तेजेन्द्र सिंह एचसी 159, अरूण कुमार कॉस्टेबल 155, गिरधर सिंह कॉस्टेबल 192 उपस्थित मिले। मौजेन्द्र सिंह ASI ने घटना स्थल एवं घटना की जानकारी दी। मौके पर कालिका मोटर्स वर्कशॉप के मालिक पीयूष पुत्र अशोक सोनी से पूछताछ कर बयान लिये गये, पीयूष के साथ एवं गवाहो के साथ कालिका मोटर्स परिसर की तलाशी ली गई। परिसर में एक टेंकर नम्बर RJ22GB2653 खडा हुआ पाया गया। उक्त टेंकर पीयूष सोनी ने स्वयं का होना स्वीकार किया। गवाहों के समक्ष टेंकर में 4000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। टेंकर

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

के पास ही एक टाटा ACE खडी हुई पाई गई। उक्त लोडिंग टेम्पों के अन्दर एक प्लास्टिक की सफेद 2000 लीटर क्षमता की प्लास्टिक की टंकी रखी हुई हैं। टंकी का ढक्कन खोलने पर इसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ होना पाया गया, मापन करने पर इसमें कुल 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। उक्त टाटा ACE का नम्बर **MP14LC0282** अंकित हैं। इसके पश्चात कालिका मोटर्स के अन्दर वर्कशॉप का निरीक्षण करने पर इसमें एक टाटा **ACE RJ20GB4559** खडी हुई पाई गई। इसमें एक सफेद प्लास्टिक की टंकी 2000 लीटर क्षमता की रखी हुई हैं। उक्त टंकी का ढ़क्कन खोलकर देखने पर इसमें पेट्रोलियम पदार्थ का होना पाया गया। इसका मापन करने पर इसमें कुल 1800 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। मौके पर टैंकर नम्बर **RJ22GB2653** के वॉल्व से एक मोटर का पाईपर जुडा हुआ हैं। जिसका एक भाग टाटा **ACE MP14LC0282** में रखे प्लास्टिक टंकी से जुडा हैं। मौके पर मोटर लुबी **SR No. 21011814, 1HP** का उपयोग किया जा रहा हैं। पीयूष सोनी ने पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन और उपयोग के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर इस संबंधित दस्तावेज होने से इन्कार कर दिया। आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण, परिवहन उपयोग पाया जाने के कारण से फर्द अभिग्रहण तैयार कर टैंकर नंबर **RJ22GB2653** मय 4000 लीटर, टाटा **ACE** लोडिंग टेम्पों नंबर **MP14LC0282** में रखी प्लास्टिक टंकी मय 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं पेट्रोलियम पदार्थ के ट्रांसफर में उपयोग में लाई जाने वाली लुबी मोटर **SR No. 21011814, 1HP** को अभिग्रहित कर कोतवाली थाना निम्बाहेडा के मालखाना इन्चार्ज की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर टैंकर नंबर **RJ22GB2653** से नमूना **A1, A2,** व **A3** का टाटा **ACE** लोडिंग टेम्पों **MP14LC0282** से **B1, B2,** व **B3** तथा टाटा **ACE** लोडिंग टेम्पों **RJ20GB4559** से **C1, C2** व **C3** नमूना लेकर सील बंद किया गया। **A1, B1, C1** नमूना वास्ते **FSL** जांच हेतु कोतवाली थाना निम्बाहेडा की सुपुर्दगी में दिया गया। टेंक नंबर **RJ22GB2653** को प्लास्टिक की सील नंबर **1048287** एवं **1048291** से सील कर कोतवाली थाना निम्बाहेडा की सुपुर्दगी में जब्त सामग्री मय वाहन दिये गये। पीयूष सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन हैं। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि प्रकरण में अभिग्रहित टैंकर नंबर **RJ22GB2653** मय 4000 लीटर, टाटा **ACE** लोडिंग टेम्पों नंबर **MP14LC0282** में रखी प्लास्टिक टंकी मय 1100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं पेट्रोलियम पदार्थ के ट्रांसफर में उपयोग में लाई जाने वाली लुबी मोटर SR **No. 21011814, 1HP** राजसात कराने की कृपा करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

इस पर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये। इस पर दिनांक 05.10.2021 को विपक्षी की ओर से अधिवक्ता ईनायत अली हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। अधिवक्ता विपक्षी ने दिनांक 05.10.2021 को प्रार्थना पत्र का जवाब एवं प्रार्थना पत्र बाबत् जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को छुडाने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं।

दिनांक 27.10.2021 को अधिवक्ता विपक्षी हाजिर आये एवं प्रार्थना पत्र बाबत् जब्तशुदा माल को छुडाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विड्रो करने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। हाजिर अधिवक्ता विपक्षी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि बाबत् ऑयल लाईट पेराफिन सिपुर्दगी पर लेने हेतु पेश किया गया हैं उक्त प्रार्थना पत्र को विपक्षी नोटप्रेस कर विड्रो करना चाहता हैं एवं उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल को राजसात किये जाने में कोई एतराज नहीं होने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। इसके साथ ही विपक्षी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

इस पर दिनांक 27.10.2021 को हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिया जाकर राजसात किये जाने विपक्षी को कोई उज्र-आपत्ति नहीं हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में हाजिर पैरोकार सरकार ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया। एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया हैं। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451-457 जा0फौ0 बाबत् प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके प्रकरण संख्या 249/2021 (रै.वि.) होकर विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण में पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा द्वारा प्राप्त अभिमत के आधार पर न्यायालय निर्णय दिनांक 27.10.2021 से प्रकरण में जब्तशुदा वाहनों को अधिकत/पंजीकृत वाहन स्वामियों को विहित शर्तों पर अपेक्षित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर रिलीज किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने पर विपक्षी को किसी भी प्रकार को कोई उज्र एतराज नहीं होना जाहिर होता हैं ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टेंकर एवं टेम्पों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 6900 (4000+1100+1800) लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री प्लास्टिक की टंकी, लुबी मोटर **SR No. 21011814, 1HP** राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 302/2021 दिनांक 23.06.2021 में दिनांक 23.06.2021 को जब्तशुदा कुल 6900 (4000+1100+1800) लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एवं अन्य सामग्री प्लास्टिक की टंकी, लुबी मोटर **SR No. 21011814, 1HP** को राजसात करने

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

के आदेश दिये जाते हैं, एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहनों को वैध स्वामियों के अपेक्षित जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर रिलीज किये जाने तक पुलिस थानाधिकारी पुलिस कोतवाली निम्बाहेडा अपनी कस्टडी में सुरक्षित रखेंगें। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 6900 (4000+1100+1800) लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं एवं अन्य सामग्री प्लास्टिक की टंकी, लुबी मोटर **SR No. 21011814, 1HP** को थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>27.10.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official